न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

(1) अपील/डिक्री/टीए/4978/2003/झालावाड़

1– कान्हा पुत्र अमरा जाति लोधा निवासी कल्याणखेड़ी, तहसील अकलेरा जिला झालावाड़।

---- अपीलांट

बनाम

1– रत्ता पुत्र अमरा जाति लोधा निवासी कल्याणखेड़ी, तहसील अकलेरा जिला झालावाड़।

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अकलेरा।

---- रेस्पोडेन्ट्स

(2) अपील/डिक्री/टीए/4979/2003/झालावाड़

1– कान्हा पुत्र अमरा जाति लोधा निवासी कल्याणखेड़ी, तहसील अकलेरा जिला झालावाड़।

---- अपीलांट

बनाम

1– रत्ता पुत्र अमरा जाति लोधा निवासी कल्याणखेड़ी, तहसील अकलेरा जिला झालावाड़।

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अकलेरा।

---- रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य
श्री गणेश कुमार, सदस्य

दोनों में उपस्थितः–
(1) श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अपीलांट।
(2) रेस्पो0 सं0 1 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं।

1– अपील/डिक्री/टीए/4978/2003/झालावाड़

कान्हा बनाम रत्ता

2– अपील/डिक्री/टीए/4979/2003/झालावाड़

कान्हा बनाम रत्ता

<u>निर्णय</u> **दिनांक :–17–08–2021**

यह दो द्वितीय अपीलें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील सं0 229/2001 एवं 242/2001 बउनवानी कान्हा बनाम रत्ता में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03–05–2002 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– उक्त दोनों अपीलों के तथ्य एवं विचारणीय बिन्दु एक समान होने एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दोनों का निस्तारण एक ही निर्णय से किये जाने के फलस्वरूप इस न्यायालय द्वारा भी दोनों अपीलों का एक साथ निर्णय किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों अपीलों में संलग्न की जावें।

3– दोनों अपीलों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 रत्ता ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विरूद्ध विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम मदनपुरिया उर्फ चुरेलिया के मालिकी खतौनी सं0 26 पुरानी 68 की खसरा नंबर 5/89 की 08–16–00 आराजी व मि0 5/89 की दो बिस्वा चाह कुल 08–18–00 आराजी स्थित है जो वादी व प्रतिवादी सं0 1 के शामलाती खाते की है जो 1/2–1/2 हिस्सा है। शामलात रहने में आये दिन विवाद उत्पन्न होता है और लगान जमा कराने में भी दिक्कत आती है। वादी/रेस्पो0 ने वर्णित आराजी में से 1/2 भाग खाते से पृथक किये जाने व प्रतिवादी/अपीलांट को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द हेतु निवेदन किया। वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय ने दावे व जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर दिनांक 31–7–2001 को वाद सं0 1763/97 खारिज कर दिया तथा वाद सं0 1724/97 प्राथमिक डिक्री कर दिया जिस निर्णय दिनांक 31–7–2001 के विरूद्ध अपीलांट कान्हा की ओर से दो अपीलें विद्वान अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष प्रस्तुत की गई जिन्होंने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर तनकीयात कायम करते हुए अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 3–5–2002 से अपील सं0 229/2001 व 242/2001 खारिज कर दी गई जिस निर्णय

व डिक्री दिनांक 3–5–2002 से व्यथित होकर ये दो अपीलें अपीलांट कान्हा की ओर से इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं।

4– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

5– योग्य अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि विद्वान दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय न्याय, नियम एवं रेकार्ड के प्रतिकूल होने से काबिल निरस्तनीय है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि जब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों दावों को कन्सोलिडेट किया गया और उस पर 3 तनकियात कायम की गई तो अधीनस्थ न्यायालय का कर्तव्य था कि उक्त तीनों तनकीयात पर अपना विस्तृत विवेचन करते। अधीनस्थ न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 14 नियम 6 को इग्नोर करते हुए आक्षेपित निर्णय पारित किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/रेस्पो0 का वाद प्रारम्भिक डिक्री करने के साथ–साथ अंतिम डिक्री पारित किये जाने के आदेश पारित कर दिये जो कि नियम विरूद्ध होने से निरस्त योग्य था एवं अपीलीय न्यायालय ने भी उसे बहाल रखा है। तहत न्यायालय ने जवाब दावे के आधार पर तीन तनकियात कायम की थी परन्तु अपने निर्णय में किसी भी तनकी का निर्णय पृथक–पृथक जारी नहीं किया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि विवादित आराजीयात पर रेस्पो0 का कभी कब्जा नहीं रहा, रेस्पो0 काफी वर्षो से ग्राम चुरेलिया में रहता है एवं ग्राम चुरेलिया की अपीलांट के हिस्से की आराजी रेस्पो0 सं0 1 को दे रखी है। अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर भी विचार नहीं किया कि विवादित आराजी अपीलांट को आवंटन होना नहीं भी मानी जावें तब भी अपीलांट व रेस्पो0 ने आपसी बंटवारे के मुताबिक ग्राम चुरेलिया की अपीलांट के हिस्से की आराजी रेस्पो0 ने ले रखी है क्योंकि रेस्पो0 ग्राम चुरेलिया में रहता है एवं रेस्पो0 के हिस्से की आराजी अपीलांट ने ग्राम मदनपुरिया के पास ही होने से अपीलांट ने ले रखी है। ऐसी स्थिति में रेस्पो0 अब रेकार्ड के आधार पर बंटवार कराने को एस्टोप्ड है। अन्त में दोनों अपीलें अपीलांट स्वीकार करने व विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 3–5–2002 व उपखण्ड अधिकारी अकलेरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–7–2001 को निरस्त करने का अनुरोध किया।

6– हमने योग्य अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया व दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया।

7– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा ने दिनांक 31–7–2001 को निर्णय पारित किया कि वाद सं0 1763/दावा/97 कान्हा बनाम रत्ता का वाद सिद्ध नहीं होने से वाद वादी खारिज किया जाता है तथा वाद सं0 1724/दावा/97 रत्ता बनाम कान्हा का वाद वादी रत्ता का प्राथमिक डिक्री जारी हो। इसके विरूद्ध अपील होने पर विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 3–5–2002 को निर्णय पारित किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सं0 229/2001 व 242/2001 खारिज की जाती है तथा परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रकरण सं0 1763/97 एवं 1724/97 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–7–2001 यथावत् रखी जाती है।

8– पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी ग्राम मदनपुरिया उर्फ चुरेल तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ सम्वत् 2053 से 2056 से आराजी खसरा नं0 5/89 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा तथा आराजी नं0 5/89 रकबा 2 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा रत्ता काना पुत्रान अमरा लोधा के नाम खातेदारी में दर्ज है। यह प्रविष्ठि नामान्तरकरण सं0 112 से होना दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रेकार्ड से अपीलांट व रेस्पो0 वादग्रस्त आराजी के सह खातेदार सिद्ध होते हैं। अपीलांट कान्हा ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि वादग्रस्त आराजीयात उसे आवंटित की गई हो। नामान्तरकरण सं0 112 की प्रतिलिपि भी पेश नहीं की गई है जिससे यह मालूम हो सकें कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट को किस प्रकार प्राप्त हुई है। इस प्रकार परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अकलेरा द्वारा प्रस्तुत दसतावेज/साक्ष्य के आधार पर वादग्रस्त भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट की सह खातेदारी की मानकर विभाजन करने में कोई न्यायिक त्रुटि नहीं की है। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील में उठाई गई आपत्तियों का प्रश्न है। अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट ने आपसी बंटवारे के मुताबिक ग्राम चुरेलिया की अपीलांट के हिस्से की आराजी रेस्पोडेन्ट ले रखी

है क्योंकि रेस्पोडेन्ट ग्राम चुरेलिया में रहता है एवं रेस्पोडेन्ट के हिस्से की विवादित आराजी अपीलांट ने ग्राम मदनपुरिया के पास ही होने से अपीलांट ने ले रखी है। कब्जा मुखालफाना के आधार पर अधिकार अर्जित करने के संबंध में अपीलांट कान्हा द्वारा प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत गैंहूखेड़ी पंचायत समिति बकानी जिला झालावाड़ दिनांक 3–11–1997 का कोई विधिक महत्व नहीं है। जहां तक अपील का एक अन्य आधार कि परीक्षण न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है तो परीक्षण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि विद्वान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अकलेरा ने अपने निर्णय में विस्तृत विवेचन करते हुए भूमि को आवंटनशुदा नहीं मानकर सह खातेदारी की मानते हुए विभाजन करने का निर्णय पारित किया है जो पूर्णतया विधिसम्मत है।

9– अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विद्वान परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है जिसे विद्वान अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा विधिसम्मत रूप से बहाल रखा गया है।

10– दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है और जिनमें मण्डल स्तर पर हस्तक्षेप की गुजाईश नहीं है।

11– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार दोनों अपीलें अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति दोनों अपीलों में संलग्न की जावें।

12– पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य